

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २४६] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर ९, १९७२/कार्तिक १८, १८९४

No. 246] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 1972/KARTIKA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ रूपा दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th November 1972

SUBJECT.—Import policy for Registered Exporters for the year April 1972—March 1973 (Amendment No. 28).

No. 157-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy (Red Book) Vol II for the period April 1972—March 1973, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC(PN)/72, dated 3rd April, 1972

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. the Policy	Reference	Amendments
Book, Vol. II 1. 87-89	B.II.1 Col.4	After the existing entry (cl), the following entry may be inserted :— “(cm) Glycerine (10%)”
2. 89	B.II.1 Col. 3	After the existing remark (9), the following remark may be inserted : “(10) Glycerine may be allowed only against export of formulations/preparations of drugs based on glycerine.”
3. 141	J.1 Col. 4	The bracket against (a) may be deleted.
4. 142	J.3 Col. 4	The face value restriction of 20 may be deleted.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1972

विषय:—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या: 28) ।

संख्या. 157—आई०टी०सी० (पीएन)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या: 47—आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 3-4-1972 के अन्तर्गत अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं:—

रैंडबुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
1. 87—89	बी० 11.1 कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (सी 1) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को शामिल किया जाए— “(सी एम) ग्लिसरीन (10 प्रतिशत)”

1	2	3
2. 89	बी० 11.1 कालम—5	वर्तमान टिप्पणी (9) के बाद निम्नलिखित टिप्पणी का शामिल किया जाए:— “(10) ग्लिसरीन की स्वीकृति केवल ग्लिसरीन पर आधारित शोधधियों के सूत्रीकरणों/उपक्रमों के निर्यात के सहे ही दी जाएगी।”
3. 141	जे० 1 कालम 4	के सामने के कोस्टक को हटाया जाए।
4. 14	जे० 3 कालम—4	20 प्रतिशत के प्रतिबंधित अंकित मूल्य को हटाया जाए।

एम० एम० सेन
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

